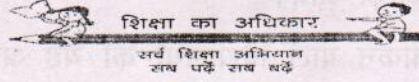




राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141-2712376

फैक्स न: 0141-2701822

क्रमांक:- राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/SFG/2017-18/ 3455

दिनांक:- 31/01/17

दिशा-निर्देश सत्र 2017-18

विद्यालय सुविधा अनुदान (SCHOOL FACILITY GRANT)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन हेतु विद्यालय सुविधा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2016-17 के अनुसार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक खण्ड हेतु देय है जो कि शिक्षा विभाग/ पंचायती राज विभाग/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मि बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों/ समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का स्थानान्तरण सीधे ही विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या		विद्यालय का स्तर		योग
		प्रा.वि.	उप्रावि	प्राथमिक विद्यालय स्तर	उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर	
1.	रा.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 5)	1	—	5000 /—	0	5000 /—
2.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 8)	1	1	5000 /—	7000 /—	12000 /—
3.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 6 से 8)	—	1	0	7000 /—	7000 /—
4.	रा.मा. वि./उ.मा.वि. (कक्षा 1 से 10 व 1 से 12)	1	1	5000 /—	7000 /—	12000 /—
5.	रा.मा.वि./उ.मा.वि. (कक्षा 6 से 10 व 6 से 12)	—	1	0	7000 /—	7000 /—

नोट :- उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

कक्षा 1 से 8 संचालित प्रत्येक उच्च प्राथमिक/मा.वि./उ.मा.वि. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 को प्राथमिक विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 को एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में पृथक-पृथक गणना की जावे तथा सम्बन्धित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति में जोड़ा जावे।

नोट :- मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

विद्यालय स्तर :-

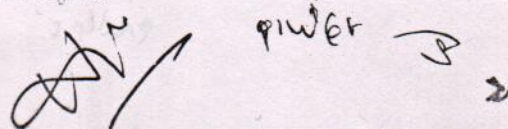
एसएफजी राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है -

1. दरी पट्टी/दरी।	2. श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग-रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
3. चॉक, डस्टर।	4. परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
5. पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।	6. एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
7. विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।	8. विज्ञान व गणित विषय के ई-कंटेंट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
9. प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण-पत्र मुद्रण।	10. शौचालय स्वच्छता व्यय (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों लिये अधिकतम 150 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक)।
11. अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।	12. अन्य उपयोज्य सामग्री यथा: झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
13. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।	14. विद्यालय सौंदर्यन (उक्त कार्यों के पश्चात् बचत होने पर)।

नोट:- उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावे। अति-आवश्यक होने पर परिषद् की अनुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार यदि वित्तीय प्रावधान अंतर्गत बचत होती है तो उसका उपयोग विद्यालय सौंदर्य अथवा BALA (अधिगम सहायक सामग्री के रूप में भवन) की अवधारणा को कार्यान्वित करने में किया जाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाये।
4. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
5. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
6. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
7. उपयोग के तत्काल पश्चात या प्रत्येक तिमाही पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/ CRC/ PEEO के माध्यम से तीन प्रतियों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें जिससे समय पर इसका समायोजन हो सके। राशियों का माह दिसम्बर तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।



विद्यालय सुविधा अनुदान राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे-

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

ध्यान देने योग्य बिन्दु:-

1. स्कूल फेसिलिटी ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान विद्यालय सुविधा अनुदान के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. कल्प लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

ब्लॉक एवं जिला कार्यालय स्तर :-

औपचारिक शिक्षा के ब्लॉक एवं जिला प्रभारी समस्त एस.एम.सी. को उक्त दिशा निर्देश की प्रति प्राप्त होना, दिशा-निर्देशों की पालना होना एवं यू.सी. प्राप्त कर ब्लॉक कार्यालय स्तर पर त्रैमासिक आधार पर संकलित कर जिले को प्रस्तुत करना एवं पूर्ण राशि की यू.सी. संकलित कर जिले को जनवरी, 2018 प्रथम सप्ताह तक आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दिशा-निर्देश भिजवाना व पालना सुनिश्चित करवायी जावे। औपचारिक शिक्षा के जिला प्रभारी प्राप्त समस्त यू.सी. संकलित कर समय पर राशि का समायोजन कर जिले को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में परिषद् को प्रस्तुत करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 के अनुसार विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG), सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ-साथ दिशा-निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है-

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

प्रतिवेदन

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम यू डीएस कोड.....
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि दिनांक
प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017-18 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रु. का
उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये.....का बैंक
संख्या..... बैंक..... शाखा..... दिनांक द्वारा वापस
भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
1		2	3	4	5	6	7	8	पू.सं.	दिनांक	11

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति

हस्ताक्षर.
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक जिला विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017-18 में ब्लॉक जिला के
प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जारी की गई विद्यालय सुविधा अनुदान की
राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा शाला सुविधा अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप
किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण
पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डीएस कोड	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जिला स्तर
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017-18 में जिला को शाला सुविधा अनुदान मद में प्राप्त राशि रुपये में से कुल प्राथमिक विद्यालयों एवं कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
तिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

School Facility Grant (SFG) Budget 2017-18 (In Lac)

S. No.	District Name	PS (Rs. 5000/- Unit Cost)		UPS (Rs. 7000/- Unit Cost)		Total	
		School	Fin.	School	Fin.	School	Fin.
1	Ajmer	1872	93.60	1250	87.50	3122	181.10
2	Alwar	2828	141.40	1970	137.90	4798	279.30
3	Banswara	2946	147.30	937	65.59	3883	212.89
4	Baran	1557	77.85	789	55.23	2346	133.08
5	Barmer	4810	240.50	2155	150.85	6965	391.35
6	Bhartpur	1744	87.20	1180	82.60	2924	169.80
7	Bhilwara	2847	142.35	1528	106.96	4375	249.31
8	Bikaner	1990	99.50	935	65.45	2925	164.95
9	Bundi	1258	62.90	691	48.37	1949	111.27
10	Chittoregarh	1800	90.00	1065	74.55	2865	164.55
11	Churu	1406	70.30	1093	76.51	2499	146.81
12	Dausa	1116	55.80	604	42.28	1720	98.08
13	Dholpur	2430	121.50	822	57.54	3252	179.04
14	Dungarpur	1534	76.70	866	60.62	2400	137.32
15	Ganganagar	1936	96.80	1046	73.22	2982	170.02
16	Hanumangarh	1088	54.40	787	55.09	1875	109.49
17	Jaipur	3734	186.70	2406	168.42	6140	355.12
18	Jaisalmer	1196	59.80	562	39.34	1758	99.14

19	Jalor	1906	95.30	940	65.80	2846	161.10
20	Jhalawar	1707	85.35	985	68.95	2692	154.30
21	Jhunjhunu	1585	79.25	1123	78.61	2708	157.86
22	Jhodhpur	3490	174.50	1625	113.75	5115	288.25
23	Karauli	1389	69.45	751	52.57	2140	122.02
24	Kota	1086	54.30	855	59.85	1941	114.15
25	Nagaur	3039	151.95	1843	129.01	4882	280.96
26	Pali	1785	89.25	1252	87.64	3037	176.89
27	Pratapgarh	1576	78.80	528	36.96	2104	115.76
28	Rajsamand	1720	86.00	856	59.92	2576	145.92
29	Sawai Madhopur	1051	52.55	744	52.08	1795	104.63
30	Sikar	1949	97.45	1415	99.05	3364	196.50
31	Sirohi	911	45.55	485	33.95	1396	79.50
32	Tonk	1453	72.65	1096	76.72	2549	149.37
33	Udaipur	4140	207.00	1544	108.08	5684	315.08
	Total	66879	3343.95	36728	2570.96	103607	5914.91

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक:- राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/SFG/2017-18/ 3456

दिनांक:- 31/11/17

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/ जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नागिया)
उपायुक्त